निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

न्याय आपके द्वार कैम्प ओलापानी

पीठासीन श्री दिनेशकुमार मण्डोवरा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी ,

प्रकरण संख्या– 22/2014 दिनांक–13/7/17

उनवान–

1– प्रतापसिंह पिता धनसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशा निवासी–उदपुराकलां
2– शिवांकुवर पिता धनसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशा निवासी–उदपुराकलां
3– शक्करसिंह पिता रणसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशा निवासी–उदपुराकलां
4– सज्जनसिंह पिता रणसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशा निवासी–उदपुराकलां
5– मोतीसिंह पिता रणसिह जाति राजपुत आयु वयस्क पेशा निवासी–उदपुराकलां
तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

::बनाम::

1– रूपसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी–उदपुराकलां
2– मानसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी–उदपुराकलां
3– अर्जुनसिंह पिता सग्रांमसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी–उदपुराकलां
4– लालसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी–उदपुराकलां
5– सायरकुंवर पिता जगन्नाथ जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी–उदपुराकलां
6– भवंरलाल पिता डालु जाति खटीक आयु वयस्क निवासी– साटोला
7– मांगीबाई बेवा लखमा जाति सुथार आयु वयस्क निवासी– साटोला
तहसील – छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर.टी.एक्ट

–निर्णय–

1– प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात मोजा– साटोला पटवार हल्का साटोला तहसील छोटीसादडी में खसरा नं0– 1103 रकबा 0.65 हैक्टर स्थित हैं ।

2– यह कि प्रार्थीगण अपनी आराजी नं0–1103 पर आराजी नं0–1078 , आ.नं. 1077 , आ.नं. 1076 , आ.नं. 1075 ,आ.नं. 1067 की पुर्वी ओर 12 फीट चोडे रास्ते पर आते जाते रहे हैं तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं , प्रार्थीगण के अपनी आराजी नं0–1103 पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वेकल्पीक रास्ता नही हैं।

3– यह कि प्रार्थीगण ने अपनी आराजी मोजा साटोला में आराजी नं0–1103 पर आने जाने हेतु आराजी नं0–1078, आराजी नं0–1077 , आराजी नं0– 1076 , आराजी नं0–1075 , आराजी नं0– 1067 की पुर्वी ओर 12 फीट चोडा रास्ता रेकार्डट राजस्व रेकार्ड में कायम किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

प्रार्थीगण की आराजी नं0–1103 पर आने जाने के लियें आराजी नं0–1078, आराजी नं0–1077 , आराजी नं0– 1076 , आराजी नं0-- 1075 , आराजी नं0– 1067 की पुर्वी मेड पर होकर आने जाने के रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग नही हैं।

वस्तुस्थिति जानने हेतु तहसीलदार छोटीसादडी को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया । तहसीलदार छोटीसादडी की रिपोर्ट पेश हुई जिसमें पटवार हल्का साटोला ने अंकीत किया कि मौके पर उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि पुर्व में प्रार्थीगण की इस आराजी में आने जाने का रास्ता आराजी नं0–1122 रकबा 0.77 हैक्टर बिलानाम सरकार , आराजी नं0– 1661/1123 रकबा 0.60 हैक्टर श्री रामसिंह पिता उदयसिंह राजपुत निवासी– साटोला , आराजी नं0–1096 रकबा 0.88 हैक्टर श्री लक्ष्मणकुवर पत्नी करणसिंह राजपुत निवासी– उदपुराकला , आराजी नं0–1094/1971 रकबा 0.76 हैक्टर मोहनीबाई पत्नी भंवरलाल खटीक की आराजीयात में से होकर रास्ता था जिसमें आना जाना किया करते थे लेकिन आराजी नं0– 1120 रकबा 0.45 हैक्टर बिलानाम सरकार पर तलाई एनिकट बनने से प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने का रास्ता बन्द हो गया तब से आराजी नं0–1078 , आ.नं. 1077 , आ.नं. 1076 , आ.नं. 1075 ,आ.नं. 1067 की पुर्वी ओर 12 फीट चोडे रास्ते /मार्ग का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर आने जाने का दुसरा कोइ वैकंल्पिक रास्ता/मार्ग नही हैं। प्रार्थीगण की आराजी नं0–1103 पर आने जाने हेतु रास्ता/मार्ग कायम किये जाने हेतु अवाप्त भुमि खातेदार लालसिंह पिता निर्भसिंह राजपुत की आराजी नं0– 1075 रकबा 0.23 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई का रास्ता आवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर , खातेदार मांगीबाई बेवा लखमा सुथार की आराजी नं0–1067 रकबा 0.10 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई रास्ता हेतु आवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर , खातेदार अर्जुनसिंह पिता संग्रामसिंह राजपुत की आराजी नं0–1076 रकबा 0.24 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई रास्ता हेतु आवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर , खातेदार मानसिंह पिता हरिसिंह राजपुत की आराजी नं0–1077 रकबा – 0.25 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई रास्ता हेतु अवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर एवं खातेदार –रूपसिंह पिता हरिसिंह राजपुत की आराजी नं0 – 1078 रकबा 0.28 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई रास्ता हेतु आवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर हैं। प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 4100 रूपया प्रति एअर हैं।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली का आवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्द तहसीलदार छोटीसादडी की रिपोर्ट वास्ते कायय रास्ता/मार्ग का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया साक्ष्य एवं पटवार हल्का साटोला की रिपोर्ट से यह जाहीर होता है कि विपक्षीगण की आराजीयात के पुर्वी ओर रास्ता था तथा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता पटवारी हल्का द्वारा नही दर्शाया हैं यदि प्रार्थी को रास्ते की भुमि उपलब्ध नही कराई गई तो प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात उपयोग उपभोग प्रार्थीगण नही कर पांएगें जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होना संभावित हैं उक्त तथ्यो को मधे नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत हैं।

–आदेश–

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण की आराजी नं0–1103 पर आने जाने हेतु रास्ता/मार्ग कायम किये जाने हेतु अवाप्त भुमि खातेदार लालसिंह पिता निर्भसिंह राजपुत की आराजी नं0–1075 रकबा 0.23 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई का रास्ता आवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर पुर्वी मेड से लगता हुआ, खातेदार मांगीबाई बेवा लखमा सुथार की आराजी नं0–1067 रकबा 0.10 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई रास्ता हेतु आवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर पुर्वी मेड से लगता हुआ , खातेदार अर्जुनसिंह पिता संग्रामसिंह राजपुत की आराजी नं0–1076 रकबा 0.24 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई रास्ता हेतु आवाप्त 0.01 हैक्टर पुर्वी मेड से लगता हुआ , खातेदार मानसिंह पिता हरिसिंह राजपुत की आराजी नं0–1077 रकबा – 0.25 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई रास्ता हेतु अवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर पुर्वी मेड से लगता हुआ एवं खातेदार –रूपसिंह पिता हरिसिंह राजपुत की आराजी नं0–1078 रकबा 0.28 हैक्टर में से 12 फीट चोडाई रास्ता हेतु आवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर की पुर्वी मेड से लगता हुआ कायम किया जाता हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण से डी0एल0सी0 की राशि आराजी नं0–1076 में अवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर की डी0एल0सी0–राशि 4100 रूपया, आराजी नं0–1067 में अवाप्त भुमि 0.01 की डी0एल0सी0 –राशि 4100 रूपया, आराजी नं0 – 1076 में अवाप्त भुमि 0.01 की डी0एल0सी0 – राशि 4100 रूपया , आराजी नं0– 1077 में अवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर की डी0एल0सी0 राशि – 4100 रूपया , आराजी नं0– 1078 में अवाप्त भुमि 0.01 हैक्टर की डी0एल0सी0 राशि – 4100 रूपया कुल डी0एल0सी0 राशि – 20500 रूपये बनती हैं वसुल की जाकर जरिये चालान/डी0डी0 जमा करा राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार नक्शे में तरमीम हो। तहसीलदार मौके पर जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 28/7/11 तक पेश करें।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/07/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी – प्रतापगढ